

फर्द अहकाम

उपरवर्त अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर


जगदीश नारायण बनाम लक्ष्मीनाथपुत्र

वर्ष 248/18 : _____ /20 _____

क आज्ञा कार्यवाही	अज्ञ विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------------	---------------------	-------------


7/1/24 पत्रावली पेश हुई। पीओ: तबब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत्र पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/1/24 को पेश हो।

16/1/24 पत्रावली पेश हुई। वकील अभयपक्ष अपर तनकी कायम की गई। पत्रावली वस्तु साक्ष्यवादी हेतु पत्रावली दि० 31/1/24 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

3/6/24 पत्रावली पेश हुई। पीओ साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत्र पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/6/24 को पेश हो।

12/6/24 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त अदालत वादी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई। उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अदालत द्वारा अदालत के अंतर्गत खारेज किया जाता है। पत्रावली के अंतर्गत अदालत दर्ज नम्बर से कम है, अतः लक्ष्मीनाथ अधिवक्ता दफ्तार है।


 उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)